पत्र संख्या–2018–19/विधि–कैम्प/ — 54 — //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(विधि कैम्प)
लखनऊः: दिनांक 17 जुलाई ,2018

– आदेश / कार्यालय ज्ञाप –

1. वस्तु एवं सेवा कर में कर निर्धारण/अर्थदण्ड कतिपय परिस्थितियों में U.P. SGST की धारा 60,61,62,63,64,73,122,129,130,274 में करने के प्रावधान किये गये है। GST में यह सभी कार्य ऑनलाइन होने है लेकिन GST पोर्टल के सपोर्ट न करने के कारण इस व्यवस्था को ऑफलाइन करने की आवश्यकता है। अतः पूरे प्रदेश में कर निर्धारण/अर्थदण्ड की एकरूपता बनी रहे तथा उससे सृजित मॉग की वसूली पोर्टल सपोर्ट से हो, इसके लिए जी0एस0टी0 के भिज्ञ अधिकारियों एवं सपोर्ट के लिए आई0टी0 के अधिकारियों की टीम बनाकर "प्रक्रिया" (SOP) का निर्धारण किया जाना उचित होगा।

2. GST व्यवस्था में कर निर्धारण अधिकारियों C.T.O. , A.C. , DC, JC, के मध्य मौद्रिक सीमावार बटवारा किया जाना भी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अधिकारीवार मौद्रिक सीमा का औचित्यपूर्ण वर्गीकरण करके रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत A और B श्रेणी के खण्डों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें A श्रेणी के खण्डों में डिप्टी कमिश्नर और B श्रेणी के खण्डों में असिस्टेन्ट कमिश्नर की पोस्टिंग किये जाने की सामान्य व्यवस्था प्रचलित थी। अतः A, B श्रेणी के आधार एवं औचित्य के साथ एक लोकेशन पर अधिकारियों के मध्य equal work/ distribution के संबंध में कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता हैः–

1. श्री विवेक कुमार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1वाणिज्य कर, मुख्यालय। — अध्यक्ष
2. श्री सी0बी0 सिंह एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर, मुख्यालय। — सदस्य
3. श्री प्रदीप कुमार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर, मुख्यालय। — सदस्य
4. श्री के0के0 उपाध्याय एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर, मुख्यालय। — सदस्य
5. श्री ए0के0 सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (ट्रेनिंग सेन्टर/सचल दल)वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ। — सदस्य
6. श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइन्ट कमिश्नर (ट्रेनिंग सेन्टर) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ — सदस्य
7. श्री पुनीत त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0/एस0एस0ओ0–1) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ। — सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति उक्त बिन्दुओं में से बिन्दु–1 व बिन्दु–02 पर विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 तक तथा बिन्दु–3 पर रिपोर्ट जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 के साथ E-mail / information sharing system के माध्यम से विचार विमर्श करके दिनांक 16.08.2018 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

16/7

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विवेक कुमार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1वाणिज्य कर, मुख्यालय।
2. श्री सी0बी0 सिंह एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3. श्री प्रदीप कुमार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4. श्री के0के0 उपाध्याय एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. श्री ए0के0 सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (ट्रेनिंग सेन्टर / सचल दल)वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6. श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइन्ट कमिश्नर (ट्रेनिंग सेन्टर) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
7. श्री पुनीत त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0 / एस0एस0ओ0–1) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

13/7/2018

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ